



रजि०न०एल०डब्लू/एल०पी०८९०
लाइसेंस न०डब्लूपी०-४१
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-४ खण्ड (ख)

परिनियत आदेश

लखनऊ, शुक्रवार २ जुलाई, २००४

अषाढ़ ११, १९२६ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबंधन अनुभाग-५

सं० क०नि०-५-३३३८/११-२००४-५००(७)-२००१

लखनऊ, २ जुलाई, २००४

अधिसूचना

प०आ० २३२

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम १८९९ (अधिनियम संख्या २ सन् १८९९) की धारा ९ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल १ अप्रैल २००४ से प्रारम्भ होने वाली ३१ मार्च २००५ तक की अवधि के लिए नजूल भूमि में पट्टाधृत अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए नजूल भूमि के पट्टेदार के पक्ष में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित लिखित पर उक्त अधिनियम की अनुसूची १-बी के अनुच्छेद २३ के खण्ड (क) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की ऐसी धनराशि जो पूर्ण स्वामित्व लिखत में दी गयी प्रतिफल की धनराशि से उक्त नजूलभूमि के बाजार मूल्य तक अधिक हो पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की सीमा तक कम करते हैं।

परन्तु यह कि अधिसूचना नजूल भूमि के नीलाम या निविदा आमंत्रण के द्वारा स्वामित्व अधिकार स्वीकृत करने से सम्बन्धित मामलों में लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए शब्द प्रतिफल का तात्पर्य ऐसे पूर्ण स्वामित्व प्रभार और उस पर ब्याज यदि कोई हो जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पट्टाधृत अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए लिया गया हो से है ।

आज्ञा से,
रीता सिन्हा,
प्रमुख सचिव ।